प्रेस विज्ञप्ति
3/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां **अवैध कोयला लेवी घोटाले** से जुड़े एक मामले में **शामिल सूर्यकांत तिवारी और अन्य** लोगों की हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि निजी व्यक्तियों का एक समूह, राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से कोयला ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली में लगा हुआ है। उन्होंने जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच परिवहन किए गए कोयले के प्रति टन 25 रुपये वसूले। इस अवधि के दौरान, अपराध की कुल आय (पीओसी) 540 करोड़ रुपये (लगभग) थी, जो छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टरों से वसूली गई थी। अवैध धन का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया था, पीओसी का कुछ हिस्सा चुनावों में भी खर्च किया गया था। शेष धनराशि का उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने लगभग 55.37 करोड़ रुपये की कई चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं, जो श्रीमती रानू साहू, आईएएस, समीर बिश्नोई, आईएएस, श्रीमती सौम्या चौरसिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओएसडी, जय प्रकाश मौर्य, आईएएस, और राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, चंद्र देव प्रसाद राय, देवेंद्र सिंह यादव, सभी राजनीतिक रूप से उजागर (एक्सपोस्ड) व्यक्तियों की हैं।

चल रही जांच के तहत ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और 26 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं, जिन्होंने दायर शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसके अलावा, अब तक आरोपी व्यक्तियों की 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।